न्यायालयः अपर सिविल जज (सी.डि.)–चतुर्थ, सिवान

हकियत वाद संख्या–632 / 2023

निबंधन संख्या–632 / 2023

16.03.2024 वादी एवं प्रतिवादी की ओर से हाजिरी है। अभिलेख आज सुलहनामा के बिन्दु पर सुनवाई एवं आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया। सुलहनामा के बिन्दु पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि इस वाद में दिनांक–18.05.2023 को उभय पक्षों के संयुक्त हस्ताक्षर किया हुआ सुलहनामा दाखिल किया गया है, जिसपर सिरिस्तेदार का प्रतिवेदन प्राप्त है। सिरिस्तेदार के प्रतिवेदन में सुलहनामा को स्वीकार योग्य बताया गया है। उक्त सुलहनामा के आलोक में वादी एवं सभी प्रतिवादीगण का साक्ष्य न्यायालय में कराया गया है, जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर अपने–अपने साक्ष्य शपथ पत्र में उक्त सुलहनामा का समर्थन करते है एवं मुकदमा राजी–खुशी से सुलह होने की बात अपने–अपने साक्ष्य में कहते है तथा साक्षियों के द्वारा यह भी कहा गया है कि सुलहनामा के आधार पर न्यायालय द्वारा मुकदमा को समाप्त किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। ऐसी स्थिति में वाद का निष्पादन सुलहनामा के आलोक में किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में वादी का वाद उभय पक्षों की ओर से दाखिल सुलहनामा के आधार पर वाद को निष्पादित किया जाता है, सुलहनामा डिक्री का अंश होगा तथा डिक्री सिर्फ इस वाद के पक्षकारों के लिये ही प्रभावी होगा। कार्यालय समय–सीमा के अन्दर डिक्री तैयार करें तथा अभिलेख नियमानुसार अभिलेखगृह में जमा करें।

लेखापित

अपर सिविल जज (सी.डि.)–चतुर्थ,
सिवान।